#### **HARYANA VIDHAN SABHA**

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON THURSDAY, THE 18<sup>TH</sup> DECEMBER, 2025 AT 11.00 A.M.

#### I. <u>OBITUARY REFERENCES</u>.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

- 1. Shri Swaraj Kaushal, former Governor of Mizoram.
- 2. Shri Khairati Lal Sharma, former Minister of Haryana.
- 3. Chaudhary Sahab Singh Saini, former Member of Haryana Legislative Assembly.
- 4. Martyrs of Haryana.
- 5. Others.

#### II. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

#### III. OFFICIAL RESOLUTION

**A MINISTER to move** – "That in August 2025, this august House unanimously adopted a resolution to commemorate the 350th martyrdom anniversary of 'Hind ki Chadar' Shri Guru Tegh Bahadur Ji. In accordance with this resolution, the Government, in collaboration with the Haryana Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, organized numerous programmes across the state.

- 2. To finalize the details of these programmes, an all-party meeting was convened in Chandigarh on November 3. Pursuant to the decisions taken at that meeting, 350 blood donation camps were organized across the state. In addition, essay and story-naration competitions on the life of Guru Ji were organised in all schools across the state.
- 3. A national-level seminar was organized at Chaudhary Devi Lal University, Sirsa. It was also decided to establish a Chair on the life, philosophy, and works of Shri Guru Tegh Bahadur Ji at the University. The Government Polytechnic, Ambala, was renamed in his honour, and the Tohana–Jind–Dhamtan Sahib road was named Guru Tegh Bahadur Marg.
- 4. The "Hind ki Chadar" Marathon was organized in Karnal. A State-level function was organized at Badkhalsa, the site of the martyrdom of Dada Kushal Singh Dahiya, who laid down his life while assisting Bhai Jaita Singh in carrying the sacred head of Sri Guru Tegh Bahadur Ji to Anandpur Sahib. The valour of Bhai Jaita Singh was also reemebered in various programmes. Tributes were paid to the supreme sacrifices of Guru Tegh Bahadur Ji's devoted followers -Bhai Dayala Ji, Bhai Sati Das Ji and Bhai Mati Das Ji.
- 5. It was decided to develop a forest in the name of Shri Guru Tegh Bahadur Ji at Kalesar in Yamunanagar district, where a Sri Guru Tegh Bahadur Dwar has also been constructed. The opening of a Guru Tegh Bahadur Agricultural College at Kishanpura, Yamunanagar, was also announced.
- 6. To spread awareness among the public about the teachings and supreme sacrifice of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, four religious yatras commenced from Rori, Pinjore, Faridabad, and Sadhaura, passing through every region of the State, converged at Kurukshetra on November 24. A grand congregation was organized there on November 25, the martyrdom day of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, in the august presence of Shri Guru Granth Sahib.
- 7. The Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji came directly from Ayodhya to attend the congregation and paid homage to Guru Sahib. On this occasion, he released a commemorative coin, a postage stamp, and a coffee table book dedicated to Shri Guru Tegh Bahadur Ji. He also inaugurated the Anubhav Kendra, based on the theme of the Mahabharata, and the Panchjanya Memorial, named after the sacred conch of Lord Krishna.
- 8. This House expresses its gratitude to the people of Haryana for their enthusiastic participation, rising above the political, social and religious ideologies, in the programmes organized to commemorate the martyrdom day of Shri Guru Tegh Bahadur Ji.

- 9. This House places on record its appreciation of the Haryana Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, with whose cooperation and guidance these programmes were organized. It also thanks the Sri Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas Organizing Committee. In addition, various social service and civil organizations deserve appreciation for their active participation in all the programmes.
- 10. This august House also expresses its heartfelt gratitude to the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, for participating in the grand congregation held at Jyotisar on November 25, on the occasion of the 350th martyrdom anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, and for paying homage to Guru Tegh Bahadur Ji's contributions to the nation and to dharma. He also encouraged us in our efforts to spread the message of the Gita to every person across the world.
- 11. With deep reverence, I, on behalf of the people of the State, humbly request this august House to unanimously pass this resolution.

Wahe Guru Ji Ka Khalsa

Wahe Guru Ji Ki Fateh"

#### IV. MOTION UNDER RULE 121.

A MINISTER to move that Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of

Business in Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business during last two hours on Thursday, the 18<sup>th</sup> December, 2025.

ALSO to move that Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of

Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted during last two hours on

Thursday, the 18<sup>th</sup> December, 2025.

#### V. ZERO HOUR

#### VI. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i) THE SPEAKER to report the time table fixed by the Business Advisory

Committee in regard to various business.

(ii) A MEMBER OF to move that this House agrees with the recommendations

contained in the First Report of the Business Advisory

Committee.

#### VII. <u>CALLING ATTENTION NOTICES</u>.

THE COMMITTEE

(	i)	Calling Attention Notice No.9	Regarding the acute shortage of trained teachers and
		notice given by	instructors in Schools/Training Institutions of the
		1. Shri Arjun Chautala, MLA;	State.
		2. Shri Aditya Devilal, MLA	
		,	

#### VIII. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions)

Ordinance, 2025. (Haryana Ordinance No. 2 of 2025).

2. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Panchayati Raj (Amendment)

Ordinance, 2025. (Haryana Ordinance No. 3 of 2025).

3. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025. (Haryana Ordinance No. 4 of 2025).

- 4. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment) Ordinance, 2025. (Haryana Ordinance No. 5 of 2025).
  5. A MINISTER to lay on the Table the Haryana Abadi Deh (Vesting, Recording and Resolving of Ownership Rights) Ordinance, 2025. (Haryana Ordinance No. 6 of 2025).
  6. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 6<sup>th</sup> December, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 7. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 9<sup>th</sup> December, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 8. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 9<sup>th</sup> December, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 9. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 11<sup>th</sup> December, 2024, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 10. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.2/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 11. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.3/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 12. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.4/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 13. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.5/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 14. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.6/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 15. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.7/GST-2, dated the 13<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 16. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.8/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 17. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.9/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 18. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 19. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 20. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 21. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 22. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 23. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
- 24. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.18/GST-2, dated the 20<sup>th</sup> March, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 25. A MINISTER No.19/GST-2, dated the 20<sup>th</sup> March, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 26. A MINISTER No.20/GST-2, dated the 20<sup>th</sup> March, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 27. No.23/GST-2, dated the 22<sup>nd</sup> April, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the General Administration Department Notification 28. A MINISTER No. 7/11/2014-3AR, dated the 8<sup>th</sup> July, 2025, as required under section 21 (3) of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014). to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 29. A MINISTER No.36/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 30. A MINISTER No.37/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 31. A MINISTER No.38/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 32. No.39/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 33. A MINISTER No.40/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 34. A MINISTER No.41/GST-2, dated the 17<sup>th</sup> September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 35. No.42/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 36. A MINISTER No.43/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 37. A MINISTER No.44/GST-2, dated the 17<sup>th</sup> September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 38. A MINISTER No.45/GST-2, dated the 17<sup>th</sup> September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 39. A MINISTER No.46/GST-2, dated the 17<sup>th</sup> September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 40. A MINISTER No.47/GST-2, dated the 17<sup>th</sup> September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 41. A MINISTER No.48/GST-2, dated the 17th September, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 42. A MINISTER No.49/GST-2, dated the 31st October, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 43. A MINISTER No.50/GST-2, dated the 25th November, 2025, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Human Rights 44. A MINISTER Commission, for the year 2024-2025, as required under section 28 (2) of the Protection of Human Rights Act, 1993. to lay on the Table the 25<sup>th</sup> Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran 45. A MINISTER Nigam Limited for the year 2023-2024, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

46. A MINISTER to lay on the Table the 40<sup>th</sup> Annual Report of the Haryana State Electronics

Development Corporation Limited for the year 2021-2022, as required

under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

47. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Budget of Gurugram Metropolitan

Development Authority (GMDA) for the financial year 2025-2026, as required under section 38(3) of the Gurugram Metropolitan Development

Authority (GMDA) Act, 2017 (Act No. 34 of 2017).

48. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of Budget of Sonipat Metropolitan

Development Authority (SMDA) for the financial year 2025-2026, as required under section 39(3) of the Sonipat Metropolitan Development

Authority (SMDA) Act, 2023 (Act No. 28 of 2023).

# IX. (i) PRESENTATION OF SECOND PRELIMINARY REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES REGARDING PRIVILEGE ISSUE AND EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE FINAL REPORT.

THE CHAIRPERSON COMMITTEE OF PRIVILEGES:

to present the second Preliminary Report of the Committee of Privileges in connection with the question of alleged breach of privilege arising out of the notice dated 3<sup>rd</sup> June, 2025, given by Shri Ashok Kumar Arora, MLA, Thanesar against Shri Narender Sharma H/o Smt. Parveen Sharma, Ward No. 2, Shri Satish Madaan H/o Smt. Nisha Madaan, Ward No. 7 and Shri Suresh Kumar H/o Smt. Bakshish Kaur, Ward No. 14, Municipal Council Thanesar, District Kurukshetra and Shri Rajesh Kumar, Executive Officer of Municipal Council, Thanesar.

**ALSO** 

to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

# (ii) PRESENTATION OF SECOND PRELIMINARY REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES REGARDING COMPLAINT GIVEN BY SHRI ANIL YADAV, MLA, KOSLI AND EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE FINAL REPORT.

THE CHAIRPERSON COMMITTEE OF PRIVILEGES:

to present the second Preliminary Report of the Committee of Privileges in connection with the complaint dated 5<sup>th</sup> July, 2025 given by Shri Anil Yadav, MLA, Kosli against Shri Umesh, Assistant Engineer, Sub Division, Palhawas, Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN), alleging not responding to phone calls, misbehaviour and dereliction of duties.

**ALSO** 

to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

#### X. <u>LEGISLATIVE BUSINESS.</u>

#### (Bills to be introduced)

1.	The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill.
2.	The Haryana Shri Mata Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Shri Sheetla Devi Shrine (Amendment) Bill.
3.	The Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Bill.
4.	The Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Bill.
5.	The Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine (Amendment) Bill.
6.	The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill.
7.	The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2025	A MINISTER	to introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill.

CHANDIGARH: THE  $17^{TH}$  DECEMBER, 2025.

RAJIV PRASHAD, SECRETARY.

#### हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 18 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

#### शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

- 1. श्री स्वराज कौशल, मिजोरम के भूतपूर्व राज्यपाल;
- 2. श्री खैराती लाल शर्मा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
- 3. चौधरी साहब सिंह सैनी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
- 4. हरियाणा के शहीद;
- 5. अन्य:
- के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

#### II. <u>प्रश्न</u>।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

#### III. सरकारी संकल्प।

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे-"िक चूंकि, गत अगस्त 2025 में इसी महान सदन में 'हिन्द की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बिलदान वर्ष को मनाने का सर्वसम्मित से संकल्प लिया गया था। उस संकल्प के अनुसार सरकार ने हिरयाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर समूचे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये।

- इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए गत 3 नवम्बर को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के निर्णयों के अनुरूप प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किये गए। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में निबंध और कहानी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- 3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया। टोहाना-जींद-धमतान साहिब रोड का नाम ग्रु तेग बहादुर मार्ग रखा गया।
- 4. करनाल में 'हिन्द की चादर' मैराथन का आयोजन किया गया। गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में भाई जैता सिंह की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दिहया जी के बिलदान स्थल बढ़खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाई जैता सिंह की वीरता को भी याद किया गया। गुरु जी के अनन्य सेवक भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मती दास जी के बिलदानों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजिल दी गई।
- 5. यमुनानगर जिला के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर द्वार भी बनाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई।

- 6. गुरु जी की शिक्षाओं और बिलदान के प्रित जन-जन को जागरूक करने के लिए रोड़ी, पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से चार यात्राएं प्रदेश के हर क्षेत्र से होती हुई 24 नवम्बर को कुरुक्षेत्र पहुंची। वहां 25 नवम्बर को गुरु जी के बिलदान दिवस पर श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रकाश में विशाल समागम का आयोजन किया गया।
- 7. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या से सीधे समागम में आकर गुरु साहिब को श्रद्धांजिल दी। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित 'अनुभव केंद्र' और भगवान श्रीकृष्ण जी के पवित्र शंख के नाम पर 'पंचजन्य स्मारक' का लोकार्पण भी किया।
- 8. यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर जी के बिलदान दिवस के उपलक्ष में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे उत्साह से भाग लेने के लिए सभी हरियाणावासियों का धन्यवाद करता है।
- 9. यह सदन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है, जिसके सहयोग और मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। साथ ही, 'श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति' का भी धन्यवाद करता है। विभिन्न समाजसेवी व नागरिक संस्थाएं भी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में सिक्रय रूप से भागीदारी की।
- 10. साथ ही, यह महान सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उन्होंने गत 25 नवम्बर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में आयोजित विशाल समागम में भाग लेकर देश व धर्म के प्रति श्री गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को नमन किया। साथ ही, गीता के संदेश को संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में हमें प्रोत्साहित किया।
- 11. मैं इस सम्मानित सदन के सम्मुख गहन श्रद्धा के साथ प्रदेश के लोगों की ओर से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

#### IV. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि वीरवार, 18 दिसम्बर, 2025 को अंतिम दो घंटों के दौरान
	सरकारी कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव, जहां तक वह लागू होता है, हरियाणा
	विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को
	निलंबित किया जाए।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी
	नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार, 18 दिसम्बर, 2025
	को अंतिम दो घंटों के दौरान सरकारी कार्य किया जाए।

#### V. <u>शून्य काल।</u>

#### VI. <u>कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट</u>।

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट एक सदस्य में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

### VII. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

(i)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9	राज्य के विद्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों	
	जिसकी सूचना-	में प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अनुदेशकों	
	1. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.;	की भारी कमी, से सम्बंधित।	
	2. <b>श्री अदित्य देवीलाल</b> , <b>एम.एल.ए.</b> द्वारा		
	दी गई है ।		

### VIII. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का
		हरियाणा अध्यादेश सं. 2) मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा
		अध्यादेश सं. 3) मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025
		(2025 का हरियाणा अध्यादेश सं. ४) मेज पर रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन
		(संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश सं. 5) मेज पर
		रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, रिकॉर्डिंग तथा
		समाधान) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश सं. 6) मेज पर
		रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 37/जी.एस.टी-२, दिनांकित 06 दिसम्बर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 38/जी.एस.टी-२, दिनांकित 09 दिसम्बर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 39/जी.एस.टी-२, दिनांकित 09 दिसम्बर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।

9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४०/जी.एस.टी-२, दिनांकित ११ दिसम्बर, २०२४ मेज पर पुन: रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 02/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 03/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 04/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 05/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 06/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 07/जी.एस.टी-२, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 08/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 09/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
_		संख्या 10/जी.एस.टी-२, , दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
19.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 11/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
20.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 12/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।

21.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 13/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
22.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 14/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
23.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 15/जी.एस.टी-२, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
24.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 18/जी.एस.टी-२, दिनांकित 20 मार्च, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
25.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या १९/जी.एस.टी-२, दिनांकित २० मार्च, २०२५ मेज पर पुन: रखेंगे।
26.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या २०/जी.एस.टी-२, दिनांकित २० मार्च, २०२५ मेज पर पुन: रखेंगे।
27.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 23/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 अप्रैल, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
28.	एक मंत्री	हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 21
		(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना
		संख्या ७/११/२०१४-३ ए.आर., दिनांकित ८ जुलाई, २०२५ मेज पर पुन: रखेंगे।
29.	एक मंत्री	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 36/जी.एस.टी-२, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।
30.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
24		संख्या 37/जी.एस.टी-२, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।
31.	एक मत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
22		संख्या 38/जी.एस.टी-२, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।
32.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 39/जी.एस.टी-२, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।

33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४०/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
34.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४१/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४२/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
36.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४३/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
37.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४४/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
38.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४५/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
39.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४६/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
40.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४७/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
41.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४८/जी.एस.टी-२, दिनांकित १७ सितम्बर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
42.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या ४९/जी.एस.टी-२, दिनांकित ३१ अक्तूबर, २०२५ मेज पर रखेंगे।
43.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की
		गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना
		संख्या 50/जी.एस.टी-२, दिनांकित 25 नवम्बर, 2025 मेज पर रखेंगे।
44.	एक मंत्री	मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग
		की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

45.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
		लिमिटेड की 25 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
46.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास
		निगम लिमिटेड की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
47.	एक मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए) अधिनियम, 2017
		(2017 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट के लिए गुरुग्राम महानगर
		विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
48.	एक मंत्री	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एस.एम.डी.ए) अधिनियम, 2023
		(2023 का अधिनियम संख्या 28) की धारा 39 (3) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट के लिए सोनीपत महानगर
		विकास प्राधिकरण (एस.एम.डी.ए) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

# IX. (i) विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

विशेषाधिकार	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए. थानेसर द्वारा श्री नरेंद्र शर्मा पति
समिति के	श्रीमती प्रवीन शर्मा, वार्ड न. 2, श्री सतीश मदान पति श्रीमती निशा
चेयरपर्सनः	मदान, वार्ड न. 7 तथा श्री सुरेश कुमार पित श्रीमती बख्शीश कौर, वार्ड
	न. 14, नगर परिषद् थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र तथा श्री राजेश कुमार,
	कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् थानेसर के विरुद्ध दिनांक 3 जून,
	2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग
	के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का दूसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
	करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय
	अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

# (ii) <u>श्री अनिल यादव, एम.एल.ए. कोसली द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में विशेषाधिकार</u> <u>समिति का दूसरी प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत</u> <u>करने के लिए समय बढ़ाना।</u>

विशेषाधिकार	श्री अनिल यादव, एम.एल.ए. कोसली द्वारा श्री उमेश, सहायक अभियंता,
समिति के	उप- मण्डल, पालहावास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
चेयरपर्सनः	(डी.एच.बी.वी.एन.) के विरुद्ध 5 जुलाई, 2025 को दी गई शिकायत जिसमे
	फ़ोन कॉल का जवाब न देने, दुर्व्यवहार तथा कर्तव्यों में लापरवाही का

	आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का दूसरी प्रारंभिक
	प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले
	सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

### X. <u>विधायी कार्य।</u> (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा श्री माता मनसा देवी	एक मंत्री	हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल
	पूजास्थल (संशोधन) विधेयक,		(संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
	2025		
2.	हरियाणा श्री माता शीतला देवी	एक मंत्री	हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल
	पूजास्थल (संशोधन) विधेयक,		(संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
	2025		
3.	हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी	एक मंत्री	हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर
	देवी मंदिर (आश्रम), बेरी		(आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक
	पूजास्थल (संशोधन) विधेयक,		को पुरःस्थापित करेंगे।
	2025		
4.	हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता	एक मंत्री	हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला
	जयंती मेला प्राधिकरण		प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित
	(संशोधन) विधेयक, 2025		करेंगे।
5.	हरियाणा श्री कपाल मोचन,	एक मंत्री	हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण,
	श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा		श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल
	देवी तथा श्री केदार नाथ		(संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
	पूजास्थल (संशोधन) विधेयक,		
	2025		
6.	हरियाणा नगर निगम	एक मंत्री	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक को
	(संशोधन) विधेयक, 2025		पुरःस्थापित करेंगे।
7.	हरियाणा पंचायती राज	एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन)
	(द्वितीय संशोधन) विधेयक,		विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
	2025		

चण्डीगढ़: 17 दिसम्बर, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।